कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.)राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–प्रारं/नियु.प्रको./नियु.–2/982/शि.भ.–18/लेवल–II/वो–II/2018 दिनांकः 12/02/2019

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय)
समस्त

विषय :– राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती–2018 अन्तर्गत लेवल द्वितीय के पदों पर कार्यग्रहण कर चुके अभ्यर्थियों से चयन रिशफल उपरान्त जिला रिशफल में भाग लेने हेतु सहमति/असहमति प्राप्त कर शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त शिक्षक भर्ती अन्तर्गत अध्यापक लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 31.07.2018 को जारी विज्ञप्तियों के क्रम में चयनित पात्र अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कार्यग्रहण किया गया है। उक्त भर्ती अन्तर्गत दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित/अपात्र एवं कार्यग्रहण करने की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने के कारण रिक्त रहे पदों पर चयन रिशफल/आरक्षित सूची जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चयन रिशफल/प्रतीक्षा सूची जारी करने के पश्चात् विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की मेरिट अनुसार जिलों का पुनः आवंटन किया जायेगा।

अतः आप आपके जिले के समस्त पदेन प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) ग्राम पंचायत मुख्यालय के संस्था प्रधानों तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के संस्था प्रधानों को पाबन्द करावे कि वे उनके अधिनस्थ विद्यालयों/स्वयं के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती 2018 के अन्तर्गत लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों पर नवचयनित अभ्यर्थियों से संलग्न प्रपत्र में सहमति/असहमति का विकल्प अनिवार्य रूप से प्राप्त कर निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित करावेः–

1. शिक्षक भर्ती 2018 अन्तर्गत लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों पर चयनित एवं कार्यग्रहण कर चुके समस्त अभ्यर्थियों से विकल्प पत्र प्राप्त कर इसका एक पृथक से रजिस्टर संधारित कर विकल्प पत्र अपने विद्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखे।
2. शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन कर निर्धारित मॉड्यूल में अभ्यर्थियों द्वारा जिला रिशफल में भाग लेने हेतु दी गई सहमति/असहमति को मॉड्यूल में हां/ना के रूप में दर्ज करे।
3. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समय तक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थियों की जिला रिशफल में भाग लेने हेतु सहमति मानी जाकर पोर्टल पर प्रविष्टि करे।
4. उक्त कार्यवाही दिनांक 15.02.2019 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर देवे। दिनांक 15.02.2019 के पश्चात् मॉड्यूल में प्रविष्टि नहीं होगी एवं सभी अभ्यर्थियों की प्रविष्टि नहीं होने पर संबंधित पीईईओ/संस्था प्रधानों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उक्तानुसार कार्यवाही संपादित करने हेतु आप अपने कार्यालय में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करे तथा निर्धारित समय तक कार्यवाही पूर्ण करवाने की समस्त जिम्मेदारी नोडल अधिकारी की रहेगी।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.)विभाग,
राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–प्रारं/नियु.प्रको./नियु.–2/982/शि.भ.–18/लेवल–II/वो–II/2018 दिनांकः 12/02/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार)।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. उपायुक्त (शाला दर्पण), स्कूल शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त को प्रति प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि आप अपने जिले में उक्त कार्य की मॉनिटरिंग कर निर्धारित दिनांक तक पूर्ण कार्यवाही सम्पादित करावे।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा(विधि) जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त पीईईओ/माध्यमिक शिक्षा विभाग के संस्था प्रधानों को पालनार्थ प्रेषित है।
8. कार्यालय प्रति।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.)विभाग,
राजस्थान बीकानेर

राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2018 लेवल द्वितीय के जिला आवटंन रिशफल (अपग्रेड) सहमति/असहमति हेतु प्रपत्र

वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम –			
कार्मिक का नाम –		पिता का नाम –	
कार्मिक की जन्म तिथि –		मो. न. –	
राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2018 लेवल द्वितीय Application No. –			
आवेदित (मूल) पद –		आवेदित (मूल) विषय –	

क्या आप राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2018 लेवल द्वितीय के जिला आवटंन रिशफल (अपग्रेड) प्रकिया में भाग लेकर अपना जिला आवटंन रिशफल (अपग्रेड) करवाना चाहते है? –

1. हॉ (नोट–इस विकल्प का चयन करने पर आपको जिला आवटंन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा।

2. नहीं (नोट–इस विकल्प का चयन करने पर आपको जिला आवटंन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा तथा आप वर्तमान में कार्यरत जिला एवं विद्यालय में ही कार्यरत रहेगे तथा आप कभी भी जिला आवटंन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में आपकी असहमति उपरान्त शामिल नहीं किये जाने के लिए कोई वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।

–कार्मिक घोषणा –

मै .... पुत्र श्री .... घोषण करता हूँ कि मै राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2018 लेवल द्वितीय के जिला आवटंन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में भाग **लेकर/नहीं लेकर** अपना जिला आवटंन रिशफल (अपग्रेड) **करवाना/नहीं करवाना** चाहता/चाहती हूँ।

(नोटः– जो लागू नहीं हो उसे काटें)

संबंधित पीईईओ/संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर

कार्मिक का नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान–

दिनांक –

(नोटः– राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2018 लेवल द्वितीय द्वारा विद्यालय में कार्यरत उपरोक्त शपथ पत्र को कार्मिक द्वारा भरकर संबंधित पीईईओ/मा.शि. के विद्यालय के संस्थाप्रधान को जमा करवाना अनिवार्य है। संबंधित पीईईओ/मा.शि. के विद्यालय के संस्थाप्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित मॉड्यूल में संबंधित कार्मिक द्वारा जिला आवटंन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में दी गई समहति/असहमति प्रविष्ट करने के पश्चात् संबंधित पीईईओ/मा.शि. के विद्यालय के संस्थाप्रधान के मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी से लॉक किया जाना अनिवार्य है। तथा कार्मिक द्वारा दिए गये प्रारूप को कार्मिक की व्यक्तिगत फाईल में अनिवार्यतः संधारित किया जाना है।)